



राजस्थान RAJASTHAN

किरायानामा

Sr No. 542

Date 11-11-24

176470

आज दिनांक 11.11.2024 ई. को यह किरायानामा निम्न पक्षों के मध्य तहरीर तकमील किया जाकर सम्पन्न हुआ:-

श्री सुभाष चन्द यादव पुत्र श्री बनवारी लाल यादव, व श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी श्री सुभाष चन्द यादव, समस्त जाति- अहीर, समस्त निवासी - ढाणी सूरज सेठ की, बामनवास रोड़, तन बूचाहेड़ा, तहसील - कोटपूतली, जिला- कोटपूतली- बहरोड़ (राज0)

.....मालिक भवन (प्रथम पक्ष)

बहक

किरायानामा लिख दिया श्री कृष्ण सेवा संस्थान, अलवर द्वारा संचालित संस्कार निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्याम मंदिर के पीछे, श्याम विहार, कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड़ (राज0) जरिये सचिव श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री डॉ0 प्रवीण यादव, जाति- अहीर, निवासी- 35, आजाद नगर, 60 फुट रोड़, न्यू दाउदपुर, अलवर (राज0)

.....किरायेदार (द्वितीय पक्ष)

EXECUTANT

EXECUTANT

EXECUTANT

.....2

Syach

Santosh

गीता

ATTESTED

SUBHASH CHAND YADAV

जो कि आप द्वितीय पक्ष के स्वत्व एवं स्वामित्व की सम्पत्ति जिसकी तफसील निम्न प्रकार है:-

जो कि एक आवासीय भूखण्ड कुल रकबा 346.67 वर्गगज आराजी खसरा नम्बर 897/0.62 है 0 भूमि वाके ग्राम बुचाहेड़ा, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड़ (राज0) में स्थित है। जिस प्लॉट की पैमाइश इस प्रकार से है पूर्व से पश्चिम 52' फुट व उत्तर से दक्षिण 60 फुट है। कुल रकबा 346.67 वर्गगज यानि 290 वर्गमीटर है। जिसकी हद हदूद इस प्रकार से है:-

पूर्व में:- 30 फुट आम रास्ता,

पश्चिम में:- अन्य का भूखण्ड

उत्तर में:- 30 फुट आम रास्ता

दक्षिण में:- अन्य का भूखण्ड

उक्त वर्णित जायदाद में बेसमेंट, ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम मंजिल पर आवासीय जायदाद बनी हुई है। जिसमें पानी की सुविधा है, जिस जायदाद को प्रथम पक्षकार को द्वितीय पक्षकार को किराये पर दिया जा रहा है।

उक्त किरायेदारी सम्पत्ति का पक्षकार नम्बर एक भवन मालिक तथा पक्षकार नम्बर 2 किरायेदार है। उक्त सम्पत्ति को प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को केवल प्रशिक्षण कार्य हेतु 120 माह यानि 10 वर्ष के लिए किराये पर देने हेतु सहमति हुई है। जिसका किराया 13,000/- रु0 अक्षरे तेरह हजार रुपये प्रतिमाह रहेगा। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य उक्त भवन के किराये के संबंध में निम्न शर्तें तय हुई है:-

1. यह कि उक्त किरायेदारी सम्पत्ति 120 माह (10 वर्ष) के लिये प्रथम पक्ष के आधिपत्य में रहेगी, जिसका उपयोग एवं उपभोग व किराये की शर्तों के अनुसार कर सकेंगे
2. यह कि किरायेदारी दिनांक 11.11.2024 से प्रारम्भ होकर दिनांक 11.11.2034 को स्वतः समाप्त हो जायेगी। आगे किरायेदारी बढ़ानी हुई तो दोनों पक्षों की सहमति से नया किरायानामा लिखकर किरायेदारी बढ़ाई जा सकेगी।
3. यह कि प्रथम पक्ष उक्त वर्णित सम्पत्ति का किराया चैक/नगद द्वारा हर माह समय - समय पर अदा करेगा, जो प्रत्येक माह का अग्रिम देय होगा। बिना रसीद किराया मान्य नहीं होगा।
4. यह कि उक्त सम्पत्ति में बिजली, नल, टेलीफोन कनेक्शन आदि द्वितीय पक्ष को लेने का पूर्ण अधिकार होगा। इसमें प्रथम पक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। तथा उक्त कनेक्शनों का भुगतान किराये के अलावा मीटर अनुसार द्वितीय पक्ष करेगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को स्वच्छ व ठीक हालत में रखेगा। उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति में मरम्मत, रद्दो-बदल, नव-निर्माण, तोड़फोड़ या अतिरिक्त निर्माण प्रथम पक्ष की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे।

EXECUTANT EXECUTANT EXECUTANT ATTESTED
Sandosh जीता

7. यह कि प्रथम पक्ष को किसी भी दिन शांति पूर्वक किरायेशुदा सम्पत्ति की देखरेख करने के लिए सम्पत्ति में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

8. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को सबलेट (उपट्टे) व पार्कवाट नहीं कर सकेंगे।

9. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष ने उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति को किरायेदार की हैसियत से करवा दिया है।

10. यह है कि पक्षकार नम्बर 2 स्वयं की मर्जी से इस जायदाद में कोई प्रशिक्षण कार्य कर सकेगा। अन्य किसी भी प्रयोजनार्थ काम में नहीं लेगा और कोई अवैधानिक कार्य नहीं करेगा। व ज्वलनशील पदार्थ आदि भी नहीं रहेगा।

11. यह कि द्वितीय पक्ष ने लगातार तीन माह तक किराया प्रथम पक्ष को अदा नहीं किया तो द्वितीय पक्ष को बिना नोटिस दिये जायदाद खाली करवाने का पूरा अधिकार प्राप्त हो जायेगा। और समझा जायेगा कि जायदाद द्वितीय पक्षकार ने खाली करदी है, जिस पर प्रथम पक्ष स्वयं का ताला लगा सकेंगे।

12. यह कि उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति पर समस्त सरकारी गैर सरकारी, बाजारी व बैंक ऋण, बकाया की समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। व इसके अलावा द्वितीय पक्षकार के व्यापार पर लगने वाले समस्त करों/टैक्सों को चुकता करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

13. यह कि उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिये द्वितीय पक्ष बाध्य होगा एवं किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर प्रथम पक्ष को सम्पत्ति खाली कराने एवं किरायेदारी समाप्त करने का अधिकार होगा।

लिहाजा यह किरायानामा आज दिनांक 11.11.2024 को प्रथम पक्ष ने राजी खुशी होशहवास की दुरुस्ती से उपर लिखी हुई शरायतों को मन्जूर करते हुये स्टाम्प किता 500/- रु० कीमतन एवं 150/- रु० सरचार्ज यानि कुल 650/- रु० इसके साथ लगाकर द्वितीय पक्ष के हक में लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

ATTESTED

दिनांक: 11.11.2024

साक्षीगण

IDENTIFIED BY

SUBHASH CHAND YADAV
Notary, Kotputli
JAIPUR (Rajasthan)

EXECUTANT

EXECUTANT

1. श्री अमर सिंह जाट पुत्र श्री मातादीन जाट
निवासी- श्याम विहार
कस्बा कोटपूतली, जिला- कोटपूतली-बहरोड़ (राज०)

ह० प्रथम पक्ष

IDENTIFIED BY

2. श्री सन्तोष शरण बंसल पुत्र श्री नरेन्द्र शरण बंसल
निवासी- पुरानी नगर पालिका के सामने,
तहसील कोटपूतली, जिला- कोटपूतली-बहरोड़ (राज०)

EXECUTANT

ह० द्वितीय पक्ष